18. बांज वृक्ष प्रभावित होने के कारण वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण आख्या संलग्न करें।

अतः उपरोक्त से प्रतीत होता है कि आपके विभाग एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्ताव का भली–भांति परीक्षण न कर मात्र एक औपचारिकता निभाते हुये प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। अतः भविष्य में प्रस्ताव पर भली–भांति परीक्षण करने के पश्चात ही पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। कृपया अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर प्रस्ताव इस कार्यालय से वापस प्राप्त कर लेवे एवं कमियों के निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी/वन संरक्षक के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय,

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या:– / FP/UK/ROAD/36930/2018 दिनाँकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, जनपद–अल्मोड़ा।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव का पूर्ण परीक्षण करने के पश्चात ही प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(ए०के० गुप्ता)
वन संरक्षक

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

पत्रांक 4M/प्रभा /121/ दि० 27/11/2019

प्रतिलिपि - अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड P.M.G.S.Y अल्मोड़ा कृपया उपरोक्तानुसार त्रुटियों का निराकरण कर प्रतिवेदन और ~~...~~ शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1212 /FP/UK/ROAD/36930/2018 देहरादून:दिनांक: 07 नवम्बर, 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
सिन्चाई खण्ड, पी०एम०जी०एस०वाई०,
अल्मोड़ा।

विषय:–जनपद अल्मोडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगॉव से सेलाकोट काने रिखाड़ से मेहरागॉव मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/36930/2018)

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोडा वन प्रभाग, अल्मोडा के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव का परीक्षण करने पर निम्न कमियाँ पायी गयी :–

1. प्रस्ताव में संलग्न सभी प्रपत्रों में परियोजना का नाम अंकित किया जाय एवं ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्रों में ग्राम पंचायत का नाम एवं ग्राम का नाम अंकित किया जाय।
2. ऑथोरिटी लेटर में क्षेत्रफल में कटिंग कर नयी सूचना भरी गयी है। अतः बिना कटिंग का प्रमाण–पत्र संलग्न करें एवं निर्गत किये जाने वाले प्रमाण–पत्र में अधिकारी का नाम भी अंकित करें।
3. डिजिटल मानचित्र में परियोजना का पूर्ण नाम अंकित करें।
4. आम सभा प्रमाण–पत्र में भी कटिंग की गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
5. एफ०आर०ए० प्रमाण–पत्र पर क्षेत्रफल में कटिंग की गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
6. ग्राम सभा सिलाकोट प्रमाण–पत्र में दिनांक में कटिंग कर नयी दिनांक भरी गयी है। बिना कटिंग का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
7. जिस मुख्य मार्ग से प्रस्तावित मार्ग निर्मित किया जाना है उस मोटर मार्ग के भारत सरकार की स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करें एवं तदनुसार मानचित्र/बारचार्ट में भी उसका उल्लेख करें तथा प्रस्तावित मार्ग जिस मुख्य मार्ग से जुड़ा है मानचित्र एवं बारचार्ट में सूचना पूर्ण रूप से भरी जाय।
8. डिजिटल एवं जियो–रिफरेन्सड मानचित्र में वैकल्पिक समरेखण भी दर्शाया जाय।
9. प्रस्तावित मार्ग की पठनीय वित्तीय स्वीकृति संलग्न करें एवं उसको हाइलाईट किया जाय।
10. उक्त प्रमाण–पत्र में प्रस्तावित मार्ग हेतु सिविल एवं नाप भूमि का उल्लेख है, जबकि प्रस्ताव के अन्य प्रपत्रों में वन पंचायत का उल्लेख है। सही सूचना भरी जाय।
11. भू–वैज्ञानिक की मूल प्रति प्रस्ताव में संलग्न करें।
12. उत्पादित होने वाले मलवे का पूर्ण विवरण संलग्न करें एवं मलवा स्थल को डिजिटल मानचित्र में भी प्रदर्शित किया जाय।
13. वृक्षों के वैज्ञानिक नाम अंकित किया जाय।
14. लैण्ड शेडयूल के अनुसार ही वृक्षों की गणना की जाय।
15. एन०पी०वी० आंकलन प्रमाण–पत्र में घनत्व ऑनलाईन के अनुसार भरते हुये प्रमाण–पत्र में प्रभागीय वनाधिकारी की मुहर अपेक्षित है।
16. कार्य प्रारम्भ न होने सम्बन्धी प्रमाण–पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र संलग्न करें।
17. लम्बाई–चौडाई प्रमाण–पत्र में कुल योग का कॉलम बनाकर सूचना भरी जाय।